न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013	08.10.2013	28.01.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामदेव साहू पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति तेली एफ.बी.ओ मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल के पास दूनी तहसील देवली जिला टोक निवासी चुंगी नाका के पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री पंकज कुमार,अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 28.01.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.05.2013 को समय 2.25 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल के पास दूनी तहसील देवली जिला टोक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री रामदेव साहू पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति तेली एफ.बी.ओ मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल के पास दूनी तहसील देवली जिला टोक निवासी चुंगी नाका के पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री रामदेव साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता [illegible] साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:42 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 1–1 किलोग्राम के 11 प्लास्टिक के जार सील पैक **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** रखे हुये थे से 1–1 किलोग्राम वजन 4 प्लास्टिक जार सील पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री रामदेव साहू को रू0 280 / –अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** खरीदशुद्वा 4 किलोग्राम (1–1) किलोग्राम की चार जार) ज्यो का त्यो लेकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–515 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–515 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. रामदेव साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2013/2403 दिनांक 10.07.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/249/एक्ट/2012/250 दिनांक 22.05.2013 अनुसार रामदेव साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये [illegible] तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना[illegible] बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यो पर प्र[illegible] डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** [illegible] रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर की होना पाया गया। इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (सिन्ध ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामदेव साहू पुत्र श्री कन्हैया लाल जाति तेली एफ.बी. ओ मैसर्स श्रवण लाल रामदेव साहू मीरा सर्किल के पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक निवासी चुंगी नाका के पास दूनी तहसील देवली जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डोंडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

28.1.22

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.04.27 09:59:42 IST
Reason: SelfAttested